फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती नारायणी | **विपक्षी : श्री गोपा**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 181/13**

जीसीएमएस : 2013/00065

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 27.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 2 से 11 के विरूद्व पूर्व में कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी हैं। विपक्षी सं. 13 से 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीयां द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीयां द्वारा पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण में दिनांक 29.08.2013 से मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन जारी हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है, जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता हैं ताकि मूल वाद के निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार से मौका एवं रेकार्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 1767, 1768, 1812, 1813, 1814, 3115, 3116, 3117, 3118, 3120, 3121 किता 11 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 2466, 3711 से 3713, 3715 से 3717 किता 7 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 1752 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 39 रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 2073 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 40 से 42 किता 3 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 1257 रकबा 8 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 3250, 3251 किता 2 रकबा 9 बीघा भूमि में विपक्षी सं. 1 मूल वाद निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.06 18:13:13 IST
Reason: SelfAttested